न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 44/2017 राजस्व अपील

1. बनवारी
2. बाबूलाल
3. राजेन्द्र
4. धारासिंह

} पि0 तेजा जाति माली निवासी ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा दिनांक 28.7.2016 प्रकरण सं0 618/16 उनवानी सरकार बनाम बनवारी आदि

उपस्थिति : श्री उम्मेदसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

:– निर्णय :–

दिनांकः 6.11.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर राजकीय भूमि खसरा नं0 2493 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा में अपीलान्ट्स का अतिक्रमण दिखाकर विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट्स को बिना किसी सबूत व सुनवाई का अवसर दिये कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिये बिना पटवारी हल्का की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स की असालतन तामील करवाये बिना अपीलान्ट्स की बिना तामील के उपस्थिति दिखाकर विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 28.7.2016 को अपीलान्टस् के विरूद्ध अतिकमण शुदा रकबे से बेदखली, पैनल्टी के आदेश से दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28.07.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्टस् ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्टस् को बिना सुनवाई, सबूत व मौका देखे बिना पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के को अधीनस्थ न्यायालय का कोई नोटिस नहीं मिला और अपीलान्ट्स की असालतन तामील करवाये बिना विधि विरूद्ध तरीके से निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत आराजी खं. न. 2493 रकबा 0.02 है0 राजकीय भूमि के लगती हुई अपीलान्ट्स की खातेदारी

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

भूमि खं. न. 2508 स्थित है। अपीलान्ट्स ने अपनी खातेदारी भूमि के खं. न. 2508 पर अपने रिहायशी मकान बना रखा है। उक्त मकान करीब 50 वर्ष पूर्व से बना हुआ है। अपीलान्ट्स द्वारा न तो राजकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है न ही कोई काश्त की है। इस सम्बन्ध में हल्का पटवारी व उप तहसीलदार द्वारा पूर्व में न तो कोई नोटिस दिया गया न ही बेदखली किया गया न ही पत्रावली पर इस तरह का कोई रिकार्ड व सबूत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 28.07.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलाण्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में स्थित गैर मुमकिन रास्ता भूमि खसरा नं0 2493 रकबा 0.02 है0 पर पाटोल, मकान का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत निर्णय पारित कर अतिक्रमण शुदा रकबे से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम कर दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान व्यक्त किया गया है कि पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमाज्ञान कराये ही रिपोर्ट पेश की गयी है। यदि अपीलान्ट्स का गैर मुमकिन रास्ता अथवा राजकीय भूमि पर कब्जा पाया जावे तो अपीलान्ट उक्त कब्जे को हटाने हेतु तैयार है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण उप तहसीलदार सिकन्दरा को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार सिकन्दरा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान कर अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि प्रकिया का पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, दौसा